

CHANDIGARH BENCH, AT CHANDIGARH  
COMPANY APPLICATION CA (CAA) NO. 28/CHD/HRY/2023  
(under Sections 230-232 of the Companies Act, 2013)  
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013

AND  
IN THE MATTER OF THE COMPOSITE SCHEME OF ARRANGEMENT AMONGST TALACE  
PRIVATE LIMITED AND TATA SIA AIRLINES LIMITED  
AND AIR INDIA LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS  
AND

IN THE MATTER OF:

**Talace Private Limited**, a company incorporated under the Companies Act, 2013, having its registered office at 2<sup>nd</sup> Floor, Block 4, Vatika One On One, Industrial Estate, Gurugram, Haryana - 122007.

...**Transferor Company 1 / Applicant Company 1**  
AND

**Tata SIA Airlines Limited**, a company incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at Intellion Edge, Tower A, 9<sup>th</sup> & 10<sup>th</sup> Floor, South Peripheral Road, Sector - 72, Gurugram, Haryana - 122101.

...**Transferor Company 2 / Applicant Company 2**  
AND

**Air India Limited**, a company incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at Block 4, Vatika One On One, Sector 16, NH 48, Industrial Estate, Gurugram, Haryana - 122007.

...**Transferee Company / Applicant Company 3**

ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETINGS OF THE SECURED CREDITORS AND  
UNSECURED CREDITORS OF TATA SIA AIRLINES LIMITED AND THE UNSECURED  
CREDITORS OF AIR INDIA LIMITED

Notice is hereby given that by an order dated July 21, 2023 in CA (CAA) No. 28/CHD/HRY/2023 ("Order"), the Hon'ble Chandigarh Bench of the National Company Law Tribunal at Chandigarh ("Tribunal"), has *inter alia* directed, separate meetings (together, the "Meetings") to be convened of the secured creditors and unsecured creditors of Tata SIA Airlines Limited ("Vistara") and of the unsecured creditors of Air India Limited ("Air India"), which together with Vistara is referred to as the "Companies" for the purpose of considering, and if thought fit, approving, the composite scheme of arrangement ("Scheme") amongst Talace Private Limited and Vistara and Air India and their respective shareholders under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act").

In pursuance of the Order and as directed therein, further notice is hereby given that:

- a meeting of the secured creditors of Vistara will be convened on Saturday, September 23, 2023 at 10:30 A.M. through video conferencing or other audio visual means ("Video Conferencing"), at which day, date and time, the said secured creditors of Vistara are requested to attend the meeting.
- a meeting of the unsecured creditors of Vistara will be convened on Saturday, September 23, 2023 at 12:30 P.M. through Video Conferencing, at which day, date and time, the said unsecured creditors of Vistara are requested to attend the meeting.
- a meeting of the unsecured creditors of Air India will be convened on Saturday, September 23, 2023 at 2:30 P.M. through Video Conferencing, at which day, date and time, the said unsecured creditors of Air India are requested to attend the meeting.

Since the Meetings are being held through Video Conferencing and there being no meeting requiring physical presence at a common venue, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the creditors will not be available for the Meetings.

National Securities Depository Limited ("NSDL") shall be providing the facility of remote e-voting prior to the respective Meetings as well as during the respective Meetings (to be held through Video Conferencing). Remote e-voting facility prior to the respective Meetings shall commence on Thursday, August 24, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and end on Friday, September 22, 2023 at 5:00 P.M. (IST) (both days inclusive). Further, facility for participation during the respective Meetings is also being provided by NSDL.

Copies of the notices in relation to the respective Meetings, together with the documents accompanying the same, including the explanatory statement under Sections 230(3) and 102 of the Act read with Rule 6(3) of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and the Scheme (collectively, the "Notices") can be obtained free of charge on any day (except Saturday, Sunday and public holidays) from the registered offices of the Companies (as applicable) during business hours. The Companies will furnish a copy of the Notices/Scheme within one day of any requisition made by any creditor, to Vistara by e-mail at [nclt.meeting@airvistara.com](mailto:nclt.meeting@airvistara.com) and to Air India by e-mail at [nclt.meeting@airindia.com](mailto:nclt.meeting@airindia.com). The Notices will be available on the websites of the Companies at [www.airvistara.com](http://www.airvistara.com) and [www.airindia.com](http://www.airindia.com) and NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

The Hon'ble Tribunal has appointed Hon'ble Mr. Justice M. M. Singh Bedi (Retd.), as the Chairperson of the Meetings and Mr. Dhananjay Singh, Advocate, as the Alternate Chairperson of the Meetings, including for any adjournment(s) thereof. The Tribunal has also appointed Mr. Ajay K Arora, practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for the Meetings, including for any adjournment(s) thereof. The Scheme, if approved at the Meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble Tribunal. The creditors are requested to read the instructions for remote e-voting prior to the Meetings and during the Meetings in the Notes to the respective Notices.

**IMPORTANT NOTES:**

- The Companies have sent the Notices in electronic form to those creditors whose e-mail IDs are registered with the Companies. The physical copies of the Notices have been sent by permitted modes to those creditors whose e-mail IDs are not registered with the Companies. The Notices will also be available on the websites of the Companies at [www.airvistara.com](http://www.airvistara.com) and [www.airindia.com](http://www.airindia.com) and NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
- A person/entity who is not a creditor of the Companies as on the Cut-off Date (i.e. March 31, 2023) should treat the Notices for information purposes only and such person/entity will not be entitled to vote.
- The creditors can join the Meetings through Video Conferencing, 30 minutes before and within 15 minutes after the scheduled time of the commencement of the Meetings by following the procedure mentioned in notes to this Notice.
- It is clarified that casting of votes by remote e-voting (prior to the Meetings) does not disentitle a creditor from attending the Meetings. However, any creditor who has voted through remote e-voting prior to the Meetings cannot vote through remote e-voting during the Meetings. The creditors of the Companies attending the Meetings through Video Conferencing who have not cast their vote through remote e-voting prior to the Meetings, shall be entitled to exercise their vote using the e-voting facility made available during the Meetings.
- Voting rights of the creditors shall be in proportion to the outstanding amount due to them as on March 31, 2023, being the cut-off date ("Cut-off Date").
- The results along with the report of the Scrutinizer shall be displayed on the website of the Companies at [www.airvistara.com](http://www.airvistara.com) and [www.airindia.com](http://www.airindia.com) and NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
- If any creditor faces any problems/experience any difficulty or if they forgot their password please feel free to contact toll free number 022-48867000/ 022-24997000 or contact an email-ID [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).

For Tata SIA Airlines Limited  
Sd/-  
Niyant Maru  
Authorized Signatory

For Air India Limited  
Sd/-  
Vinod Hejmadi  
Authorized Signatory

Date: August 21, 2023  
Place: Gurugram

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण,  
चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष  
कम्पनी आवेदन सीए (सीएए) 28/सीएचडी/एचआरवाई/2023  
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत)  
कम्पनी अधिनियम, 2013 के विषय में  
तथा  
टालेस प्राइवेट लिमिटेड एवं टाटा एरलाइन्स लिमिटेड  
तथा एयर इंडिया लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों  
के मध्य व्यवस्था की संयुक्त स्कीम के विषय में  
तथा

**विषय में :**

**टालेस प्राइवेट लिमिटेड**, कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल, ब्लॉक 4, वाटिका वन ऑन वन, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुरुग्राम, हरियाणा-122007 में स्थित है।

...**अंतरणकर्ता कम्पनी 1/आवेदक कम्पनी 1**

**टाटा एरलाइन्स लिमिटेड**, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय इन्टेलियन एज, टावर ए, 9वां एवं 10वां तल, साउथ पेरिफेरल रोड, सेक्टर-72, गुरुग्राम, हरियाणा-122101 में स्थित है।

...**अंतरणकर्ता कम्पनी 2/आवेदक कम्पनी 2**

**एयर इंडिया लिमिटेड**, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ब्लॉक 4, वाटिका वन ऑन वन, सेक्टर-16, एनएए-48, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुरुग्राम, हरियाणा-122007 में स्थित है।

...**अंतरिणी कम्पनी /आवेदक कम्पनी 3**

**टाटा एरलाइन्स लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों तथा**

**एयर इंडिया लिमिटेड के अप्रतिभूत लेनदारों की बैठकों**

**की सूचना का विज्ञापन**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ ("न्यायाधिकरण") की चंडीगढ़ पीठ ने सीए (सीएए) 28/सीएचडी/एचआरवाई/2023 में एक आदेश दिनांकित 21 जुलाई, 2023 ("आदेश") द्वारा, अन्य के साथ निर्देश दिया है कि: टाटा एरलाइन्स लिमिटेड ("विस्तारा") के प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों तथा एयर इंडिया लिमिटेड ("एयर इंडिया"), जो विस्तारा के साथ सामूहिक रूप से "कम्पनीज" कही गई हैं, के अप्रतिभूत लेनदारों की पृथक बैठकों ("सामूहिक रूप से बैठकों") कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत टालेस प्राइवेट लिमिटेड तथा विस्तारा और एयर इंडिया एवं उनके संबंधित शेयरधारकों के मध्य व्यवस्था की संयुक्त स्कीम ("स्कीम") पर विचार करने, और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो अनुमोदित करने के प्रयोजन हेतु आयोजित की जाए।

उक्त आदेश के अनुसरण में और जैसा कि उसमें निर्देशित किया गया है, एतद्वारा आगे सूचना दी जाती है कि:

- विस्तारा के प्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को पूर्वा. 10.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो विड्युअल साधनों ("वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, उस दिन, तिथि और समय पर विस्तारा के उक्त प्रतिभूत लेनदारों से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।
- विस्तारा के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को मध्या. 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो विड्युअल साधनों ("वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, उस दिन, तिथि और समय पर विस्तारा के उक्त अप्रतिभूत लेनदारों से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।
- एयर इंडिया के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को अप. 2.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा अन्य ऑडियो विड्युअल साधनों ("वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, उस दिन, तिथि और समय पर एयर इंडिया के उक्त अप्रतिभूत लेनदारों से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

सूचक बैठकों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं और इसलिए किसी बैठक में किसी एक उभय पक्षन पर भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, अतः परीक्षकों की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, बैठकों के लिए लेनदारों द्वारा परीक्षकों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

नैशनल सेक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") संबंधित बैठकों (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से आयोजित की जाएगी) से पहले के साथ संबंधित बैठकों के दौरान भी रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी। संबंधित बैठकों से पहले रिमोट ई-वोटिंग नूह्रपतिवार, 24 अगस्त, 2023 को पूर्वा. 9.00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी तथा बुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को अप. 5.00 बजे (आईएसटी) (दोनों दिवस सम्मिलित) ही समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त, एनएसडीएल द्वारा संबंधित बैठकों के दौरान प्रतिभागिता हेतु सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

संबंधित बैठकों के संबंध में सूचनाओं की प्रतियां, उनके साथ संलग्न दस्तावेजों सहित, जिनमें अधिनियम की धारा 230(3) तथा 102 के साथ पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समानता) नियमावली, 2016 के नियम 6(3) के तहत व्याख्यात्मक विवरण तथा स्कीम सम्मिलित हैं ("सामूहिक रूप से सूचनाएं") निशुल्क किसी भी दिन (शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश) कम्पनी (स्था लघु) के पंजीकृत कार्यालय से कार्यसमय के दौरान प्राप्त की जा सकती हैं। कम्पनीज सूचनाओं/स्कीम की प्रति, लेनदारों द्वारा, विस्तारा से ई-मेल द्वारा [nclt.meeting@airvistara.com](mailto:nclt.meeting@airvistara.com) पर तथा एयर इंडिया से [nclt.meeting@airindia.com](mailto:nclt.meeting@airindia.com) पर मांगे जाने पर एक दिन के भीतर मुफ्त में कवर किए जाएंगी। ये सूचनाएं कम्पनीज की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।

माननीय न्यायाधिकरण ने बैठकों, उनके प्रासंगिक सहित, के लिए माननीय न्यायाधीश एम.ए. सिंह बेदी (सेवानिवृत्त) को अध्यक्ष तथा श्री धनंजय सिंह, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस न्यायाधिकरण ने श्री अजय के अरोड़ा, प्रेक्टिसिंग कम्पनी सेक्रेटरी को बैठकों, उनके प्रासंगिक सहित, के लिए सहायक नियुक्त किया है। यह स्कीम, यदि उपरोक्त बैठकों में अनुमोदित की जाती है, तो वह माननीय न्यायाधिकरण के अनुमोदित अनुमोदन के अधीन होगी।

लेनदारों से संबंधित सूचनाओं के नोट्स में बैठकों से पहले तथा बैठकों के दौरान रिमोट ई-वोटिंग हेतु अनुदेश पढ़ने का अनुरोध किया जाता है।

**महत्वपूर्ण नोट्स :**

- कम्पनीज इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचनाएं उन लेनदारों को भेज चुकी हैं, जिनकी ई-मेल आईडीज कम्पनी में पंजीबद्ध हैं। सूचनाओं की भौतिक प्रतियां अनुमत्त विधि से उन लेनदारों को भेजी जा चुकी हैं, जिनकी ई-मेल आईडीज कम्पनी में पंजीबद्ध नहीं हैं। ये सूचनाएं कम्पनीज की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।
- कोई व्यक्ति/संस्था, जो कट-ऑफ तिथि (जोकि 31 मार्च, 2023) है, को कम्पनीज का लेनदार नहीं है, उसको ये सूचनाएं/जानकारी मात्र के प्रतिमान माननी चाहिए और ऐसा व्यक्ति/संस्था वोट डालने की हकदार नहीं होगी।
- लेनदार इस सूचना के नोट्स में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों से, बैठक आरंभ होने के निश्चित समय से 30 मिनट पहले और निश्चित समय के बाद 15 मिनट के भीतर, जुड़ सकते हैं।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग (बैठकों से पहले) द्वारा वोट डालने से किसी लेनदार का बैठक में भाग लेने का हक समाप्त नहीं होता है। तथापि, कोई लेनदार, जो बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डाल चुका है, वह बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाल सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में उपस्थित कम्पनीज के लेनदार, जिनके द्वारा बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, बैठक के दौरान उपलब्ध करवाई गई ई-वोटिंग का उपयोग करते हुए अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करने के हकदार होंगे।
- लेनदारों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि 31 मार्च, 2023 ("कट-ऑफ तिथि") को उनकी बकाया राशि के अनुपात में होंगे।
- परिणाम, संबंधित रिपोर्ट सहित कम्पनीज की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।
- यदि किसी लेनदार को कोई समस्या/कठिनाई होती है अथवा वे अपना पासवर्ड भूल गए हैं, कृपया निम्नलिखित टोलफ्री नंबर 022-48867000/022-24997000 पर सम्पर्क करें अथवा ई-मेल आईडी [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर सम्पर्क करें।

वास्ते टाटा एरलाइन्स लिमिटेड  
हस्ता /-  
नियन्त मारु  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

तिथि : 21 अगस्त, 2023  
स्थान : गुरुग्राम

वास्ते एयर इंडिया लिमिटेड  
हस्ता /-  
विनोद हेजमाडी  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता